

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19652

भोपाल, दिनांक 20/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री RAJENDRA CHATURVEDI, पदनाम Teacher (UDT), संस्था M S GANDAHWAD जिला खरगौन को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, सेंधवा, बड़वानी	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्येधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण-नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख M S GANDAHWAD वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, सेंधवा, बड़वानी में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 653

भोपाल, दिनांक 20/7/17

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला खरगौन, बड़वानी मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला खरगौन, बड़वानी मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश ।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला खरगौन, बड़वानी मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, M S GANDAHWAD जिला खरगौन मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, सेंधवा, बड़वानी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. RAJENDRA CHATURVEDI पद Teacher (UDT) संस्था M S GANDAHWAD, जिला खरगौन की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त

आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/19654

भोपाल, दिनांक 20/01/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्त एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री SUMITRA AJNAR, पदनाम HM(MS), संस्था M S DHOLIYAWAD जिला झाबुआ को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़, अलीराजपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशालि होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख M S DHOLIYAWAD वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़, अलीराजपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 655

भोपाल, दिनांक 20/7/17

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला झाबुआ, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला झाबुआ, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला झाबुआ, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, M S DHOLIYAWAD जिला झाबुआ मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. SUMITRA AJNAR पद HM(MS) संस्था M S DHOLIYAWAD, जिला झाबुआ की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19656

भोपाल, दिनांक 22/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री Ram Lal Bhande, पदनाम Teacher (UDT), संस्था NMS SURAJPURA (GHUGHRA) जिला मण्डला को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	आदर्श आवासीय विद्यालय (PTG), जबलपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख NMS SURAJPURA (GHUGHRA) वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था आदर्श आवासीय विद्यालय (PTG), जबलपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/7/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19657

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला मण्डला, जबलपुर मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला मण्डला, जबलपुर मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश ।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला मण्डला, जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मण्डला मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, NMS SURAJPURA (GHUGHRA) जिला मण्डला मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, आदर्श आवासीय विद्यालय (PTG), जबलपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. Ram Lal Bhande पद Teacher (UDT) संस्था NMS SURAJPURA (GHUGHRA), जिला मण्डला की ओर पालनार्थ

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19658

भोपाल, दिनांक 22/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री KAILASH PATIL, पदनाम Adhyapak, संस्था HS Kotha Khurd जिला खरगौन को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, राजुर, खालवा, खण्डवा	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख HS Kotha Khurd वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, राजुर, खालवा, खण्डवा में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19659

भोपाल, दिनांक 20/01/17

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला खरगौन, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला खरगौन, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला खरगौन, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, HS Kotha Khurd जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, राजुर, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. KAILASH PATIL पद Adhyapak संस्था HS Kotha Khurd, जिला खरगौन की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19660

भोपाल, दिनांक 20/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री PARASARAM RAKSHA, पदनाम Teacher (UDT), संस्था BRC MANAWAR जिला धार को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, धार, धार	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख BRC MANAWAR वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, धार, धार में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/11/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19661

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला धार, धार मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला धार, धार मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला धार, धार मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला धार मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, BRC MANAWAR जिला धार मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, धार, धार मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. PARASARAM RAKSHA पद Teacher (UDT) संस्था BRC MANAWAR, जिला धार की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19662

भोपाल, दिनांक 22/05/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KU HARDAHA, पदनाम Adhyapak, संस्था NMS OUGHAT KHAPRI जिला मण्डला को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, शहपुरा, डिण्डोरी	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख NMS OUGHAT KHAPRI वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।

6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, शहपुरा, डिण्डोरी में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास


मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/11/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19663

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला मण्डला, डिण्डोरी मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला मण्डला, डिण्डोरी मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला मण्डला, डिण्डोरी मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मण्डला मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, NMS OUGHAT KHAPRI जिला मण्डला मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, शहपुरा, डिण्डोरी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. RAKESH KU HARDAHA पद Adhyapak संस्था NMS OUGHAT KHAPRI, जिला मण्डला की ओर पालनार्थ।



आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19664

भोपाल, दिनांक 27/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK RATHOR, पदनाम Adhyapak, संस्था MS Badi Phata जिला अलीराजपुर को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, जोबट, अलीराजपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Badi Phata वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, जोबट, अलीराजपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/11/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 665

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, MS Badi Phata जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, जोबट, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. ASHOK RATHOR पद Adhyapak संस्था MS Badi Phata, जिला अलीराजपुर की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19666

भोपाल, दिनांक 27/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री Boski Srhivastav, पदनाम Adhyapak, संस्था MS Chapa जिला शहडोल को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, सोहागपुर, शहडोल	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Chapa वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, सोहागपुर, शहडोल में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/7/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19667

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला शहडोल, शहडोल मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला शहडोल, शहडोल मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला शहडोल, शहडोल मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, MS Chapa जिला शहडोल मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, सोहागपुर, शहडोल मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. Boski Srhivastav पद Adhyapak संस्था MS Chapa, जिला शहडोल की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19668

भोपाल, दिनांक 20/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI HEMANT MARAVI, पदनाम Adhyapak, संस्था NMS GADHHAR जिला मण्डला को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	आदर्श आवासीय विद्यालय (PTG), जबलपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख NMS GADHHAR वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था आदर्श आवासीय विद्यालय (PTG), जबलपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/7/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19669

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला मण्डला, जबलपुर मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला मण्डला, जबलपुर मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश ।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला मण्डला, जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मण्डला मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, NMS GADHHAR जिला मण्डला मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, आदर्श आवासीय विद्यालय (PTG), जबलपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. SHRI HEMANT MARAVI पद Adhyapak संस्था NMS GADHHAR, जिला मण्डला की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19670

भोपाल, दिनांक 27/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित त्रिशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्त एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री premlata girwal, पदनाम Adhyapak, संस्था Govt. M. S. Sodpur जिला धार को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, तिरला, धार	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख Govt. M. S. Sodpur वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, तिरला, धार में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/1/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19671

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला धार, धार मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला धार, धार मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला धार, धार मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला धार मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, Govt. M. S. Sodpur जिला धार मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, तिरला, धार मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. premlata girwal पद Adhyapak संस्था Govt. M. S. Sodpur, जिला धार की ओर पालनार्थ।



आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19672

भोपाल, दिनांक 22/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री NIDHI. NIWARIA, पदनाम Adhyapak, संस्था GMS DHAI KHURD जिला होशंगाबाद को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, राजुर, खालवा, खण्डवा	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख GMS DHAI KHURD वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, राजुर, खालवा, खण्डवा में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22/2/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 473

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला होशंगाबाद, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला होशंगाबाद, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला होशंगाबाद, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, GMS DHAI KHURD जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, राजुर, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. NIDHI. NIWARIA पद Adhyapak संस्था GMS DHAI KHURD, जिला होशंगाबाद की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/19674

भोपाल, दिनांक 27/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री KADAM SINGH AJNAR, पदनाम Adhyapak, संस्था MS Bhilala F Kanwara जिला अलीराजपुर को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़, अलीराजपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Bhilala F Kanwara वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़, अलीराजपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/7/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19675

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, MS Bhilala F Kanwara जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़; अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. KADAM SINGH AJNAR पद Adhyapak संस्था MS Bhilala F Kanwara, जिला अलीराजपुर की ओर पालनार्थ।



आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/19676


भोपाल, दिनांक 21/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री AJAYSINGH CHANGOD, पदनाम Adhyapak, संस्था MS Badi Phata जिला अलीराजपुर को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चंद्रशेखर आजादनगर, अलीराजपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Badi Phata वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चंद्रशेखर आजादनगर, अलीराजपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/11/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/19677

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, MS Badi Phata जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चंद्रशेखर आजादनगर, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. AJAYSINGH CHANGOD पद Adhyapak संस्था MS Badi Phata, जिला अलीराजपुर की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19678

भोपाल, दिनांक 27/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री Ku.Rekha Sisodiya, पदनाम Adhyapak, संस्था MS Sekad Muhali जिला बड़वानी को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, धार, धार	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Sekad Muhali वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, धार, धार में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 879

भोपाल, दिनांक 20/7/17

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला बड़वानी, धार मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला बड़वानी, धार मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश ।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला बड़वानी, धार मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, MS Sekad Muhali जिला बड़वानी मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, धार, धार मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. Ku.Rekha Sisodiya पद Adhyapak संस्था MS Sekad Muhali, जिला बड़वानी की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19680

भोपाल, दिनांक 27/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री Sapna Mishra, पदनाम Adhyapak, संस्था NMS HATHITARA जिला मण्डला को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, उमरिया, उमरिया	हिंदी	कक्षा 6 से 10	50

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख NMS HATHITARA वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, उमरिया, उमरिया में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/11/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 681

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला मण्डला, उमरिया मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला मण्डला, उमरिया मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश ।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला मण्डला, उमरिया मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मण्डला मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, NMS HATHITARA जिला मण्डला मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, उमरिया, उमरिया मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. Sapna Mishra पद Adhyapak संस्था NMS HATHITARA, जिला मण्डला की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19682

भोपाल, दिनांक 27/7/17


::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री Bharti Pandit, पदनाम Teacher (UDT), संस्था MS Girls Barwani जिला बड़वानी को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	एंकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरडावद, धार	हिंदी	कक्षा 6 से 10	49

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Girls Barwani वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।

6. नवीन पदस्थापना संस्था एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरडावद, धार में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(दीपाली रस्तोगी)


आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19683

भोपाल, दिनांक 22/7/17

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला बड़वानी, धार मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला बड़वानी, धार मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला बड़वानी, धार मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, MS Girls Barwani जिला बड़वानी मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरडावद, धार मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. Bharti Pandit पद Teacher (UDT) संस्था MS Girls Barwani, जिला बड़वानी की ओर पालनार्थ।



आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 684

भोपाल, दिनांक 20/7/17

::आदेश::


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री GAJRAJSINGH PATEL, पदनाम Teacher (UDT), संस्था MS Chhoti Khargone जिला खरगौन को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खंडवा, खंडवा	हिंदी	कक्षा 6 से 10	49

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख MS Chhoti Khargone वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय, खंडवा, खंडवा में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त

आदिवासी विकास


मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21/7/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19685

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला खरगौन, खंडवा मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला खरगौन, खंडवा मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला खरगौन, खंडवा मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, MS Chhoti Khargone जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय, खंडवा, खंडवा मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. GAJRAJSINGH PATEL पद Teacher (UDT) संस्था MS Chhoti Khargone, जिला खरगौन की ओर पालनार्थ।



आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/ 19686

भोपाल, दिनांक 20/01/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री RUKHDI CHOUHAN, पदनाम HM(MS), संस्था G. M. S. Borud जिला धार को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	कन्या शिक्षा परिसर, कठुवाडा, अलीराजपुर	हिंदी	कक्षा 6 से 10	49

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख G. M. S. Borud वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था कन्या शिक्षा परिसर, कठ्ठीवाडा, अलीराजपुर में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/7/17

पृ.क्र./शिक्षांस्था.2-3/2017/19687

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला धार, अलीराजपुर मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला धार, अलीराजपुर मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश ।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला धार, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला धार मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, G. M. S. Borud जिला धार मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, कठ्ठीवाडा, अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. RUKHDI CHOUHAN पद HM(MS) संस्था G. M. S. Borud, जिला धार की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षास्था.2-3/2017/19688

भोपाल, दिनांक 22/7/17

::आदेश::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था.2-3/ 2017/ 11754-55 दिनांक 22.5.2017 के तहत विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के लिए स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर आयोजित ऑन लाईन परीक्षा दिनांक 9.7.2017 में विषय हिंदी में प्राप्तांक एवं विकल्प के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री GAJANAND KHEDEKAR, पदनाम Adhyapak, संस्था N. M. S. PIPALPATI [07-08] जिला खरगौन को निम्नानुसार संस्था में अध्यापन हेतु चयन कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम/स्थान/जिला	विषय	अध्यापन कक्षा	प्राप्तांक (100 में से)
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, खालवा, खण्डवा	हिंदी	कक्षा 6 से 10	49

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8755/2017 एवं याचिका क्रमांक 9624/2017, में दिये गये अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
3. इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य स्थानांतरण (स्थानांतरण नीति के अनुरूप) होते हैं, तो यह आदेश प्रभावशील होगा।
4. कार्यभार ग्रहण के समय संस्था प्रमुख को उपरोक्त शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनकी वरीयता/धारणाधिकार वर्तमान जिला अंतर्गत ही रहेगी अथवा वे नवीन पदस्थापना जिले में वरिष्ठता/धारणाधिकार हेतु संविलियन चाहते हैं।
5. संस्था प्रमुख N. M. S. PIPALPATI [07-08] वर्तमान पदस्थ संस्था से आदेश दिनांक के एक सप्ताह के अंदर उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षक को नवीन पदस्थापना संस्था हेतु भारमुक्त करें।



6. नवीन पदस्थापना संस्था एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, खालवा, खण्डवा में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/7/17

पृ.क्र./शिक्षास्था.2-3/2017/ 19 689

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला खरगौन, खण्डवा मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/ स्थानीय निकाय जिला खरगौन, खण्डवा मध्यप्रदेश।
3. सर्व सम्बंधित संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण संभाग मध्यप्रदेश।
4. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिवासी विकास जिला खरगौन, खण्डवा मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, N. M. S. PIPALPATI [07-08] जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, खालवा, खण्डवा मध्यप्रदेश।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/ सुश्री. GAJANAND KHEDEKAR पद Adhyapak संस्था N. M. S. PIPALPATI [07-08], जिला खरगौन की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश